रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –39 ● अंक –7 ● कानपुर 1 से 15 अप्रैल 2017 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹ 100

प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नया अध्याय शुरू

पूरे देश में उत्तर प्रदेश ही एक मात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबसे मज़बूत स्थिति के साथ खड़ी है, इस राज्य का एक मात्र विधि सम्मत ढंग से स्थापित इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संगठन बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा, पंजीयन एवं अनुसंधान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आदेश प्राप्त है जिसके आधार पर यह संगठन पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है , इस संगठन के द्वारा पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहा है।

शासनादेश प्राप्त होने के बाद से ही बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने यह प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे कि अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति की भाँति इस चिकित्सा पद्धति का नियमितीकरण हो एवं इस विधा के चिकित्सकों को भी शासकीय सेवाओं में कार्य करने का अवसर प्राप्त हो, इसके साथ साथ मान्यता के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति की जाये इसी क्रम में जब शासन से पत्र व्यवहार किया गया तो एक बात उभर कर आयी कि यदि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता पानी है तो प्रचलित पाठ्यक्रम का उच्चीकरण किया जाये साथ साथ जो आवश्यक विषय हों उनको भी समाहित किया जाये यह जानकारी जैसे ही बोर्ड के संज्ञान में आयी। बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 की प्रबन्ध समिति ने इस विषय को गम्भीरता से लिया और त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

कोर्स और अवधि पर चर्चा हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया समिति की अनुसंशा के आधार पर वर्तमान में प्रचलित कोर्स का विश्लेषण करवाया गया और नये कोर्स की अवधि और उसमें समाहित होने वाले विषयों के लिए फिर विषय विशेषज्ञों की राय ली गयी, राय के बाद इस प्रस्तावित कोर्स की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी तीन अलग अलग मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को दी गयी, एलोपैथी की तरफ से डा0 के0 सी0 सिंघल (M.B.B.S) आयुर्वेद के क्षेत्र से डा0 ओम शंकर मिश्रा (आयुर्वेदाचार्य) व होम्योपैथी जगत से डा0 राजेन्द्र प्रसाद (B.M.S) रहे इन तीनों विधा विशेषज्ञों की विशेषज्ञ सलाह आने के बाद कोर्स का पुर्ननिरीक्षण करवाया गया और नये कोर्स की संरचना का काम प्रारम्भ कर दिया गया।

लगभग तीन महीनों के अथक परिश्रम के बाद अब नया कोर्स ढांचागत रूप से तैयार है बहुत सम्भव है कि शीघ्र ही इसपर अन्तिम मुहर भी लग जायेगी। नये सत्र से पूरे प्रदेश में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इन्सटीट्यूटों में यह कोर्स लागू कर दिया जायेगा। यह कोर्स लागू होते ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मूलभूत परिवर्तन होने की सम्भवना है या दूसरे शब्दों में हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि इस कदम से इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और जिसका प्रभाव शीघ्र ही मात्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु सारे भारत वर्ष में दिखायी देने लगेगा। यह एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए नये युग के सूत्रपात्र जैसा होगा। अब बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता की दिशा में ले जाना चाहता है और इस बात के लिए प्रयासशील है कि शीघ्र ही वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान हो इसीलिए कार्य को ही प्रमुखता दी गयी है कार्य के आधार पर ही किसी भी विधा की उपयोगिता और गुणवत्ता निर्धारित होती है इसलिए बोर्ड से सम्बद्ध सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शिक्षण संस्थानों को इस बात के लिए निर्देशित किया गया है कि वह अपने विद्यालय से सम्बद्ध एक चिकित्सालय की स्थापना 30 जून, 2017 से पहले अवश्य कर लें, 15 जुलाई , 2017 से 15 सितम्बर, 2017 के मध्य बोर्ड द्वारा सभी विद्यालयों में दर्शायी जा रही संचालित डिस्पेंसरियों का औचक निरीक्षण कर उनका भौतिक सत्यापन किया जायेगा जिन विद्यालयों में अनियमितता पायी गयी उन्हें चेतावनी देकर एक निश्चित समय सीमा के अन्दर व्यवस्थाओं को ठीक करने को कहा जायेगा। यह कड़ा कदम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए बहुत आवश्यक है।

- ✓ स्थापना दिवस पर घोषित होगा नया कोर्स
- ✓ नियमितीकरण की राह हुई आसान
- ✓ कोर्स में है समकक्षता
- ✓ ओ0पी0डी0 सख्ती से लागू की जायेगी
- ✓ नई सरकार का पूरा समर्थन
- ✓ स्वास्थ्य नीति में शामिल हो सकती है पैथी
- ✓ प्रबल होती सम्भावनायें

डिस्पेंसरियों में आने वाले रोगियों और उनपर पड़ने वाले प्रभावों के आधार पर ही मान्यता की आधार शिला रखी जायेगी। आपको बता दें कि अभी 28 फरवीर, 2017 को भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो नोटिस जारी की गयी है उस नोटिस में सुरक्षा और प्रभाव शब्द प्रयोग में लाये गये है इस आधार पर यह स्पष्ट है कि सरकार यह जानना चाहती है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा में जिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधियों का प्रयोग किया जाता है वह कितनी सुरक्षित और कितनी प्रभावी हैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर कार्य से ही सम्भव है जब हमारे चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से ही चिकित्सा व्यवसाय करेंगे और रोगी को सुरक्षित लाभ देंगे तो निश्चित तौर पर यह परिणाम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की उपयोगिता और प्रभाविकता सिद्ध करने में सहयोग करेंगे। अस्तु हमारे जो चिकित्सक अन्य विधा में लिप्त हैं वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का ही प्रयोग करें और प्राप्त परिणामों का रिकार्ड रखें, आने वाले दिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आने वाले हैं बहुत सम्भव है कि जो अपनी व्यवस्थाओं को ठीक नहीं करेंगे वह लाभ से वंचित भी रह सकते हैं।

सरकार लगातार कार्य कर रही है नई सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग सम्भाल रहे हैं वह अधिकारी और विभागीय मन्त्री अभी से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में रूचि दिखाने लगे हैं यह सरकार हर कार्य को व्यवस्थित करना चाहती है अस्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सम्भावनायें प्रबल हैं।

24 अप्रैल, 2017 को जब बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 अपना स्थापना दिवस मनायेगा उसी समय नये कोर्स की घोषणा की जायेगी और 2017 की नीतियां भी सार्वजनिक की जायेंगी जिससे कि आने वाले समय में किसी को कष्ट न हो और कोई भी साथी लाभ से वंचित न रह जाये।

महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ में चिकित्सकों की जाँच शुरू

कहीं कहीं उत्पीड़न भी

चिकित्सा व्यवसाय का सीधा सम्बन्ध जन स्वास्थ्य से होता है इसलिए प्रत्येक सरकार इस विभाग पर पैनी निगाह रखती है जब भी किसी सरकार का गठन होता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन उसकी प्राथमिकता में होता है इसलिए चाहे केन्द्र सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार यही चाहती है कि उनके राज्य में सामान्य जन को योग्य शिक्षित और प्रशिक्षित चिकित्सकों के द्वारा चिकित्सा लाभ प्राप्त हो, चूंकि पूरे देश में झोलाछाप चिकित्सकों की एक लम्बी चौड़ी फौज है प्रत्येक राज्य सरकार का यह दायित्व होता है कि चिकित्सा व्यवसाय अपने प्रदेश में प्रचलित कानूनों के अनुसार संचालित हो, इस हेतु प्रत्येक राज्य सरकार समय समय पर शिक्षित, पंजीकृत और अशिक्षित–अपंजीकृत चिकित्सकों की जांच करवाती है इसी क्रम में पिछले कई हफ्तों से छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सकों की जांच पड़ताल का काम बड़ी तेज़ी के साथ चलाया जा रहा है इस जांच अभियान में कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक भी परेशान हो जाते हैं।

हमें भी इस तरह की सूचनायें प्राप्त हो रही हैं, हम अपने साथियों को स्मरण दिला दें कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय करने के पूरे अधिकार प्राप्त हैं बशर्ते राज्य में प्रचलित कानूनों का अनुपालन किया जा रहा हो। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अधिकार पूर्वक कार्य करने का अधिकार तो सारे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों को 21 जून, 2011 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में सन्निहित है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जो चिकित्सक इस तरह के अभियानों से भयभीत होते हैं उनमें कुछ उनकी व्यक्तिगत कमी भी रहती है हमारे अधिकांश चिकित्सक अपनी विधा से विलग रहते हैं और अन्य पद्धतियों की शरण में चले जाते हैं और यही प्रवृत्ति हमारे चिकित्सकों को झोलाछाप की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देती है जांच करना सरकार का कर्तव्य है और जांच में सहयोग करना हमारा दायित्व यदि दोनों सामन्जस्य स्थापित कर लें तो परेशानी का कोई मतलब ही नहीं है परेशानी तब होती है जब हम अधिकारों पर अतिक्रमण करते है,कभी कभी जांच करने वाले अधिकारी जानबूझ कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के साथ उत्पीड़न की कार्यवाही भी कर देते हैं ऐसी कार्यवाही का डटकर मुकाबला करना चाहिये छत्तीसगढ़ में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की जांच का काम तेज़ी से चल रहा है, चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक कोई भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए शासनादेश जारी नहीं किया गया है कभी कभी स्पष्ट निर्देश न होने के कारण अधिकारी गण मनमानी करने लगते हैं जिसका खामियाज़ा हमारे चिकित्सकों को भुगतना पड़ता है, इसी तरह महाराष्ट्र में जो अभियान चलाया जा रहा है उसका सम्बन्ध पंजीयन से है, जिन चिकित्सकों का विभागीय पंजीयन नहीं है उनपर शासकीय शिकंजा प्रशासन द्वारा कसा जा रहा है, इसलिए दोनों राज्यों के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों चाहिये कि वे अपनी चिकित्सकीय अर्हता के साथ साथ अपने बोर्ड पर स्पष्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अंकित करें साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियों का उपयोग करें, इसके उपरान्त भी यदि आपका उत्पीड़न किया जाता है तो स्थानीय संगठन से सम्पर्क करें या हमें सूचना दें।

आपके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर स्थानीय संगठन चिकित्सक की हर सम्भव मदद करता है यदि स्थानीय संगठन द्वारा बात नहीं बनती है तो केन्द्रीय संगठन तत्काल कार्यवाही करता है।

नैतिकता की हदें .....!

जीवन में नैतिकता का एक अलग स्थान होता है चूंकि नैतिकता ही प्राणी में मर्यादा का सम्मान करना सिखाती है और जहाँ मर्यादा ही नहीं रहती है वहाँ किसी अच्छाई की कामना करना व्यर्थ होता है।

चिकित्सक और चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े हर व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादाओं का पालन करना होता है इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भी इसका अपवाद नहीं रही है, समय बदल रहा है समय के साथ–साथ हमारे काम करने का ढंग, बात करने का ढंग और एक दूसरे से व्यवहार करने का ढंग भी बदल रहा है, इस बदलाव से इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े व्यक्ति भी अछूते नहीं है।

हमारे यहाँ छोटे और बड़े दोनों को सम्मान देने की परम्परा रही है और इस परम्परा का निर्वाहन अभी तक तो होता रहा है, परन्तु पिछले कुछ दिनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में संवाद में जो गिरावट आ रही है जो सोचनीय है इस तरह के संवाद प्रसारित किये जाते हैं जिनका कि सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं है जिससे कि जो रिक्तता उत्पन्न हो रही है उसका मरण कैसे होगा ?यह तो समय पर ही निर्भर करेगा।

इन दिनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक नई व्यवस्था से परेशान है भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ने एक सूचना प्रसारित की है जिस सूचना को पढ़कर पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्था संचालक व नृत्वकर्ता अजीब सी उलझन में हैं, एक बार फिर स्थिति विषम होती जा रही है जिसके कारण भिन्न–भिन्न तरह की अवधारणायें निर्मित हो रही हैं, हमारे साथी भारत सरकार द्वारा प्रसारित इस सूचना को अपने–अपने ढंग से परिभाषित कर रहे हैं। जिससे कि एक बार फिर भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। नोटिस को गम्भीरता से समझने की अवश्यकता है, नोटिस किन परिस्थितियों में जारी हुई और भारत सरकार ने इस नोटिस को किन कारणों से जारी किया है ?यह वह महत्वपूर्ण बिन्दु है जिसपर गम्भीर चिन्तन होना चाहिये और चिन्तन के बाद ऐसी स्थिति का निमार्ण करना चाहिये जिससे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को दूरगामी लाभ हो सके इस नोटिस को लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर हो रहा है जिससे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की गूढ़ बातें भी बाहर निकल आती हैं। जिससे कि समाज में गलत सन्देश जाता है फेसबुक संचार का वह माध्यम है जो कि न केवल अपने बल्कि जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से नहीं जुड़े हैं वह भी हमारी वास्तविकता से अवगत हो जाते हैं, वास्तविकता जानना अच्छी बात है, परन्तु वास्तविकता की आड़ में जो सन्देश जाता है वह कदापित ठीक नहीं है। आज की स्थिति में इलेक्ट्रो होम्योपैथी बिल्कुल ठीक स्थिति में चल रही है सरकार भी भरपूर मदद कर रही है जो नोटिस 28 फरवरी, 2017 को भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने निर्गत की है उसके अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि सरकार वर्षों से उपेक्षित पड़ी इलेक्ट्रो होम्योपैथी और अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों का कल्याण करना चाहती है लेकिन किसी भी पद्धति को नियमित करने के लिए जो आवश्यक तत्व व जानकारियां हैं वह तो हमें देनी ही होंगी, लेकिन क्या देना है ? क्या नहीं देना है ? एकल स्तर पर देना है या सामूहिक स्तर पर देना है इन सारे बिन्दुओं पर विचार करना ही होगा, विचारोपरान्त उचित निर्णय लेते हुए कार्य करना है। जब बात एकता की की जाती है, एक मंच की की जाती है, तब जितने भी हमारे साथी हैं उनका अहं हमें छोड़ना होगा जब तक व्यक्तिगत हितों को छोड़कर सिर्फ पद्धति हित की बात नहीं की जायेगी तब तक कोई भी सकारात्मक रास्ता नहीं निकल सकता है।

अब वह समय आ गया है कि जब सब लोगों को नये सिरे से व खुले मस्तिष्क से सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करनी होगी यदि अवसर हमने खोये तो अगले अवसर कब प्राप्त होंगे यह निश्चित नहीं है न तो अस्तु ,न किन्तु और न ही परन्तु इन तीनों शब्दों से ऊपर उठकर सोचने का दायित्व किसी एक का न होकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े हर संस्था संचालक का है एक गलत निर्णय हमें कितना पीछे छोड़ देगा इसकी कल्पना शायद हम नहीं कर सकते हैं समय के साथ चलते हुए और समय को ही साक्षी बनाते हुए हमें वही करना है जो आज समय की मांग है।

स्वप्नलोक में विचरते हैं हम सब

सपने देखना सबको अच्छा लगता है और यदि सपने रंगीन हों तो कहना ही क्या ! सपनों की दुनिया का रंग अलग होता है सपनों में होना, सपनों में रहना, सपनों का हसीन होना यह सपनों की विचित्र दुनिया है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सपनों से बहुत बड़ा सम्बन्ध है सपनों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी शुरू होती है और जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जुड़े रहते हैं तब तक स्वप्नलोक में विचरण करते रहते हैं। हर माता पिता यह चाहता है कि उसके द्वारा पोषित बालक या बालिका समाज में सम्मानजनक अपना स्थान बनाये समान्यतयः हर माता पिता का यह स्वप्न है कि उसका पाल्य डाक्टर या इंजीनियर बने इसके लिए वह प्रयास भी करता है, सफ़ल हो जाये तो अच्छी बात है, हमारे भारत वर्ष में यह आम बात है कि जो एलोपैथी का चिकित्सक बने वही डाक्टर है बाकी सब वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक हैं अन्य देशों की बात अलग है जहाँ बालक या बालिका अपनी क्षमता व इच्छा अनुसार अपने जीवन यापन के व्यवसाय का चयन करता है और उसी में सफ़ल होकर श्रेष्ठता का प्रर्दशन करता है परन्तु भारतवर्ष में अभी भी अभिभावक की मर्जी से ही व्यवसाय का चयन होता है। बालक या बालिका में प्रतिस्पर्धा पार करने की क्षमता हो या न हो पर माता पिता यही चाहता है कि उसका पाल्य उसकी इच्छा का सम्मान करे और जो वह चाहता है उसी क्षेत्र में जाये। जब नीट की परीक्षा पास नहीं कर पाता तब माता पिता अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने पाल्य का प्रवेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी में करा देता है और यहीं से शुरू होती है सपनों की रंगीन दुनियाँ, माता पिता सपना देखते हैं कि उसका पाल्य चिकित्सक बन जायेगा और जो सपना पूरा करने वाला है बालक या बालिका वह अपने भविष्य के रंगीन सपने देखने लगता है कि तीन या चार वर्ष के बाद वह डाक्टर बनकर निकलेगा समाज में सम्मान अर्जित करेगा, प्रवेश लेते ही उसके सपनों में पंख लग जाते हैं वह स्वर्णिम भविष्य की अच्छी कल्पनाओं में खो जाता है, वह मन ही मन इतना प्रसन्न होता है कि अब वह अपनी सारी इच्छायें पूरी कर लेगा, आवश्यकताओं की वस्तुओं के साथ–साथ सुविधाभोगी वस्तुयें भी अपने लिए अर्जित कर लेगा, लेकिन धीरे–धीरे जैसे–जैसे समय बीतता है तब वह मान्यता के सपनों में खो जाता है। यह तो अच्छी बात है कि कुछ लोग यह स्पष्ट बता देते हैं कि अभी इस पद्धति को मान्यता नहीं मिली है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पता नहीं क्या–क्या कह देते हैं ! और इसी क्या–क्या की उधेड़बुन में नव प्रवेशी जो पुराना हो चुका होता है काफी कुछ सपने देख चुका होता है आन्दोलन की राह पर चलता है रोज़ नई कल्पनायें बनती बिगड़ती हैं और इसी कल्पना लोक में विचरण करते हुए वह अपना कोर्स तक पूरा कर लेता है, अब उसके सामने दायित्व होता है कि वह अपने भविष्य का निर्माण कैसे करे ? इसी भविष्य के निर्माण के लिए वह सबकुछ कर देता है जो उसे नहीं करना चाहिये चिकित्सकीय चकाचौंध में फंसकर बहुत कुछ जल्दी जल्दी पाने की अपेक्षा में उसका रूझान एलोपैथी की तरफ़ हो जाता है।

उसके इस रूझान से उसका तो भला हो जाता है परन्तु इलेक्ट्रो होम्योपैथी का भला नहीं हो पाता। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के भले के लिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे चिकित्सक अपनी ही विधा से चिकित्सा व्यवसाय करें और रोगियों को स्वस्थ्यता प्रदान करें इससे चिकित्सक को आत्म – संतुष्टि का अनुभव होता है और वह अपनी पूरी क्षमता से इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समर्थक भी हो जाता है किसी एक चिकित्सक की प्रगति को देखकर उसके साथियों को भी यह प्रेरणा मिलती है कि वह भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुद्ध चिकित्सक बने।

अपनी–अपनी विधा को अपनाकर भी सपने पूरे किये जा सकते हैं यह आवश्यक नही है कि सपनों को पूरा करने के लिए हम दूसरों के कन्धों का सहारा लें क्योंकि इस सत्य को हमें कभी नहीं भूलना चाहिये कि दूसरा कन्धा कितना भी मज़बूत क्यों न हो लेकिन वह जीवन भर का सहारा नहीं होता है, आज के परिदृश्य में जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति बड़ी तेज़ी के साथ प्रगति के रास्ते पर चल रही है जिस शासकीय संरक्षण की हम वर्षों से बाँट जोह रहे हैं, धीरे–धीरे हमारी वह इंतज़ार करने की सीमा समाप्त होने जा रही है केन्द्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो सकारात्मक रूख इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए दिखाया जा रहा है वह हमारी आशाओं को बल प्रदान करने वाला है। यह निर्विवाद सत्य है कि आगे बढ़ने के लिए कुछ सपने देखे जाते हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति निरन्तर प्रयास करता है कुछ भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो प्रथम प्रयास में ही लक्ष्य भेद लेते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें लक्ष्य पाने के लिए बार–बार प्रयास करने पड़ते हैं और यदि आदमी प्रयास करे तो सफ़लता प्राप्त होती ही है जब सफ़लता नहीं मिलती है तो हमें अवसर भी मिलता है कि हम अपनी विफ़लता का विश्लेषण करें और जो कमियां प्राप्त हों उन्हें दूर करने का प्रयास करें बहुत सम्भव है कि इस मार्ग में चलते हुए हमारे सपनों को कुछ देर के लिए ठहरना भी पड़े लेकिन यह ठहराव ज़्यादा लम्बा नहीं होता है यदि हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो निश्चित रूप से हमें भी भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से मज़बूत व परिपक्व भी होना पड़ेगा। समय की गति निरन्तर आगे बढ़ रही है, समय जितना व्यतीत होता जायेगा परिस्पर्धा उतनी ही कठिन होती जायेगी क्योंकि जो प्रचलित चिकित्सा पद्धतियां हैं वहां काम भी हो रहा है, शोध भी हो रहे हैं, सरकारी सहयोग व समर्थन भी मिल रहा है, उनके कार्यों का मूल्यांकन भी हो रहा है परन्तु हम इलेक्ट्रो होम्योपैथों को इन सारी व्यवस्थाओं को पार करना है काम भी बहुत करना है शोध के रास्ते ढूंढने हैं, सरकारी सहयोग व समर्थन तो मिल रहा है लेकिन हम उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं और जो कार्य हो रहा है उसका वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो रहा है परिणामतः हमारे कार्यों में सुधार नहीं हो पा रहा है एक ही ढर्रे पर चलते रहने का समय कब का गुज़र चुका है नित्य नये हो रहे प्रयोगों के मध्य यदि हमें अपनी उपस्थिति रखनी है तो समान्तर तो नहीं परन्तु लगभग कार्य तो करने ही होंगे, साधनों का अभाव नहीं है हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रतिभाओं की कमी नहीं है सिर्फ आवश्यकता है मनोबल के बढ़ाने की, मात्र सपने देखने से काम नहीं चलता सपनों को पूरा करने के लिए अवसर भी हमें ही तलाशने हैं और इन अवसरों को सही उपयोग करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति को मज़बूत करना है जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मज़बूत होने की बात होती है तो हमारे साथी ही कहने लगते हैं कि क्यों सपने दिखा रहे हो जबकि तथ्य यह है कि जो सपना देखता है वही आगे बढ़ता है, अपने आस पास मात्र सपनों के जाल बिछाने से काम नहीं चलता काम चलाने के लिए काम करना पड़ता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता या नियमितीकरण दोनों ही स्थिति में सरकार आपके कार्यों को देखेगी और कार्य भी ऐसे हों जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, सेफ़ होना दवाओं की गुणवत्ता दर्शाती है और यही गुणवत्ता हमारी प्रमाणिकता है जब रोगी हमारी दवाओं से ठीक होंगे और रोग मुक्त होंगे तो रोगी स्वयं मुक्तकंठ से आपकी और आपकी पद्धति की प्रशंसा करेंगे प्रशंसा के लिए हर वह उपाय हमें करने है जो हमारे बस में है सरकार की नीतियों में बदलाव तो सरकार लाती है। हमारे बस में इतना है कि हम अपने कार्य से सरकार को इतना प्रभावित कर दें कि सरकार हमारी योग्यता और प्रतिभा को देखकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी स्वास्थ नीति में समाहित करने के लिए विवश हो जाये कहने में तो यह स्वप्न जैसी बात लगती है लेकिन अपने सपनों को धरातल पर यर्थाथ व मूर्तरूप हम और हमारे साथी ही देते हैं।

तो क्यों न हम काम करते हुए हर सपने को पूरा करें।

मैकेनिज़्म के लिये

भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नोटिस

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का मामला पिछले लगभग 50 वर्षों से अधिक लगातार चर्चा में रहता है और इसपर कार्य भी होते हैं धरने आन्दोलन प्रदर्शन व ज्ञापनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता रहा है सांसदों के माध्यम से लोकसभा में बिल लाने का प्रयास भी किया गया परन्तु आजतक सफलता नहीं मिली।

भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को वैधानिक ढंग से संचालित होते रहने के लिए 21 जून, 2011 को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के प्रतिवेदन पर आदेश जारी किया था, यह आदेश सारे भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने की अनुमति प्रदान करता है "परन्तु हमारे साथियों को व्यक्तिगत आदेशों की आवश्यकता है " इसलिए सरकार से मान्यता हेतु सतत् पत्र व्यवहार जारी रखते हैं। परिणाम स्वरूप भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने 28 फरवरी, 2017 को एक नोटिस जारी कर एक नई व्यवस्था को जन्म दे दिया है इस नोटिस के अनुसार सरकार ने वह सारी जानकारियां चाही हैं जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने में सहायक हों पूरे देश में इस नोटिस को लेकर तरह तरह के प्रचार किये जा रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि अब मान्यता मिल ही जायेगी जबकि इस नोटिस में स्पष्ट रूप से अधिशासी आदेश की बात कही है और लगातार यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अभी नहीं तो कभी नहीं हम अपने पाठकों को वास्तविकता से परिचित करवाने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय से जारी पूरा पत्र प्रकाशित कर रहे हैं हमारे पाठक पढ़ें और वास्तविकता से परिचित हों क्योंकि जिन्दगी भ्रम में नहीं जी जाती है, भ्रम से निकल कर ही काम किया जा सकता है इसलिए हम सबको इस नोटिस की वास्तविकता जाननी चाहिये। आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आन्दोलन वैसे तो वर्षों से चल रहा है लेकिन 21 जून, 2011 को जैसे ही इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पक्ष में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सा व अनुसंधान के लिए भारत सरकार द्वारा आदेश निर्गत किया गया वैसे ही सारे देश में काम कर रहे अन्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संगठन बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गये और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आन्दोलन को मान्यता के आन्दोलन में परिवर्तित कर दिया। पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए एक समर्थन जुटाया जाने लगा कुछ नये लोग भी आये उन्होंने अपने पूरे जोश से इस आन्दोलन को गति प्रदान करने का प्रयास भी किया परन्तु सफलता नहीं मिली हमारे अन्य साथियों को एक अच्छे आदेश की बहुत आवश्यकता महसूस हो रही थी, जबकि 21 जून, 2011 आने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी इसके पीछे एक ही कारण था वह कारण यह है कि अभी तक मात्र 21 जून, 2011 का आदेश ही पूरी तरह प्रभावी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संगठन के नाम पर यह आदेश जारी हुआ वह मान्यता न मिलने तक स्वतन्त्र नियामक की तरह कार्य करेगा।

यह बात हमारे साथी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इसलिए तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं इन्हीं प्रयासों के क्रम में मान्यता पाने के लिए पूरे देश से संगठन के रूप में व व्यक्तिगत रूप में प्रतिवेदन भारत सरकार के पास प्रेषित किये गये, जब इन प्रतिवेदनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गयी तब भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय ने इस समस्या के समाधान के लिए एक योजना बनायी और इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए एक सामान्य नोटिस निर्गत किया। यह नोटिस केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए न होकर उन सारी चिकित्सा पद्धतियों व थेरेपियों के लिए है जिनका सन्दर्भ 25 नवम्बर, 2003 को भारत सरकार द्वारा जारी आदेश में लिया गया था उस समय एक दर्जन से अधिक थेरेपियों के नाम उस आदेश में थे उनमें से एक मात्र चिकित्सा पद्धति सोआ–रिग्पा है जो कि सन् 2010 में मान्यता पाने में सफल रही है।

अब चिकित्सा पद्धति की श्रेणी में केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही शेष है जिसे मान्यता के दौर से गुजरना है, 28 फरवरी, 2017 को जो नोटिस जारी किया गया वह मान्यता के लिए न होकर अधिशासी आदेश के लिए है इस नोटिस के माध्यम से सरकार ने उन सारे संगठनों से जानकारी मांगी हैं जिस आधार पर चिकित्सा पद्धतियां मान्यता की मांग कर रही हैं। इस नोटिस के अन्दर 2005 में प्रस्तावित नई पद्धतियों की मान्यता के बिल का पूरा का पूरा भाव दृष्टिगोचर होता है।

मैकेनिज्म का तात्पर्य वह सारे अंग प्रत्यंग हैं जिसे जोड़कर अस्तित्व का निर्माण होता है इस नोटिस को लेकर पूरे देश में एक अजीब सा वातावरण पैदा हो चुका है हर तरफ इसी नोटिस की चर्चा है प्रचार के जितने भी माध्यम हैं सारे के सारे माध्यमों में इसी नोटिस का प्रचार किया जाता है और ऐसा प्रदर्शित किया जाता है कि जैसे

No. V.25011/436/2016-HR
Government of India
Ministry of Health and Family Welfare
(**Department of Health Research**)
*****

IRCS Building, 2nd Floor,
Red Cross Road, New Delhi-110001.
Dated, 24th February, 2017.

NOTICE

Subject : Mechanism for consideration of proposals for recognition to new / alternative systems of medicine.

This is to state, for information of all concerned, that the Department of Health Research, in the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, has been receiving, from time to time, miscellaneous references / representations from various individuals / bodies for according recognition to alternative systems of medicine.

2. In this connection, it may be stated that the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of AYUSH are regulating different matters relating to various systems of medicine in the country. At present, the modern system of medicine is regulated through the Indian Medical Council Act 1956; the Homoeopathic System of Medicine is regulated through Homoeopathy Central Council Act, 1973 and the four Indian Systems of Medicine, namely Ayurveda, Siddha, Sowa Rigpa and Unani, are regulated through the Indian Medicine Central Council Act, 1970. Yoga and Naturopathy are also systems recognized under the Ministry of AYUSH, Government of India. However, there is no legal framework for recognizing and regulating any other new (i.e., alternative) systems of medicine.

3. The question of bringing in a separate Central legislation to facilitate grant of recognition to new, i.e., alternative systems of medicine, has been under consideration of the Union Government for quite sometime. After comprehensive consideration of the matter in the Government, it has now been decided to put in place a mechanism, in which, in lieu of a Central legislation, an Inter-Departmental Committee, comprising representatives from Central and State Governments, some regulatory bodies and persons of repute from the field of health sciences, will analyse and examine proposals seeking recognition to alternative systems of medicine, in order to establish the viability, or otherwise, of such systems for their safe adoption in the national healthcare system. This Inter-Departmental Committee will examine those proposals for recognition of systems of medicine, concept of which is quite independent of the existing recognised systems of medicine, namely, Allopathy system and AYUSH system. Recommendations that may be made by such committee would, thereafter, be considered by the Central Government in order to decide if such systems are viable and safe, and can be suitably notified by way of executive orders.

4. The terms of reference and scope of work for the Committee will be as under:

(a) To invite via website, proposals / suggestions from various stakeholders / public / supporters / promoters of alternative systems of medicine, seeking recognition to any new system(s) of medicine, also calling for from them relevant documents / literature with respect to origin and history of such systems, including stages of its development and research works on it, etc., indicating the clinical applicability, efficacy and, above all, safety of such alternative systems, list of institutions providing teaching / trainings on that system / mode of therapy, curriculum, lists of experts, published documents available in public domain, etc.

(b) To analyse and examine each such application / proposal, and take a decision in respect to viability of notifying the alternative system; and

(c) To make recommendations to the Central Government for inclusion of any such system(s) in the list of viable systems of alternative medicine. While doing so, the Committee would also suggest suitable course / curriculum / regulatory body for each such system.

5. There will be pooling of proposals, thus received, for every quarter (ending 31st March, 30th June, 30th September, 31st December) for processing.

शेष अंतिम पेज पर

मैकेनिज़्म के लिये भारत सरकार ....

पेज 3 से आगे

..... कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गयी है उपलब्धि तो है ही प्रयासो का परिणाम है परन्तु जिस तरह की हड़बड़ी व अतिरेकता दिखायी जा रही है वह कदाचित उचित नहीं है यह नोटिस हमें अपनी वास्तविकता प्रकट करने का अवसर प्रदान कर रही है परन्तु जो वास्तविकता देनी है उसमें सर्तकता बरतनी होगी कभी तो कभी ऐसा दृष्टिगोचर होता है कि हमारे जितने भी साथी है वह सब अपने आप में पूर्ण है और कोई किसी की सुनना भी नहीं चाहता है हास्य की स्थिति तो तब उत्पन्न होती है जब कुछ वरिष्ठ लोग ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सिद्धान्त पर तरह तरह की परिभाषायें गढते है औषधियों के निर्माण की विधि पर ही शंका प्रकट करते है मैटी काल में जितने पौधे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में प्रयोग किये गये उनके बारे में भी उनकी अलग राय है धीरे धीरे वह ऐसे रहस्य पैदा कर रहे है। जिससे कि पूरी पद्धति ही रहस्य मयी लगने लगती है इसलिए हम अपने सुविज्ञ पाठको से अपेक्षा करते है कि इस नोटिस को ध्यान से पढ़े और उसका अनुशीलन करें तद्परान्त जो चर्चा चल रही है उसपर अपनी राय बनाये अन्यथः आप स्वयं भ्रमित होंगे और दूसरे को भी भ्रमित करने का अवसर मिलता है इस नोटिस के माध्यम से भारत सरकार ने यह जानना चाहा है कि जो संस्थाये या संगठन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की मांग कर रहे है उनका वास्तविक स्वरूप क्या है उन्होने कुछ किया है या सिर्फ आधारहीन बाते कर रहे है वैसे तो भारत सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में सबकुछ जानती है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के उद्गम से लेकर आजतक की स्थिति का पूरा लेखा जोखा सरकार के पास उपलब्ध है। और सरकार जितनी आसानी सूचनाये एकत्रित कर सकती है उतनी शीर्षता सामान्य व्यक्ति या संगठन नहीं कर सकता सरकार ने जानना चाहा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जन्म किन परिस्थितियों में हुआ है इसका सिद्धान्त क्या है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधि निर्माण की विधि कितनी तर्कसंगत है इन सबसे ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातो की जानकारी भी मन्त्रालय द्वारा मांगी गयी है उसमें प्रमुख बिन्दु है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की औषधियां कितनी सुरक्षित है और रोगो पर उनका क्या प्रभाव है। इन सबके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि इस चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस से कितने प्रतिशत लोगो को लाभ मिल रहा है इन सबका बिन्दुवार विवरण हमें उपलब्ध कराना है इस नोटिस का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस बार जो कमेटी बनेगी उसमें एलोपैथी के साथ साथ आयुष के भी लोग रहेंगे कमेटी में केन्द्र और राज्य दोनो का प्रतिनिधित्व होगा जब कमेटी रिपोर्ट पर सबलोग सतुष्ट होंगे तब एक अधीशासी आदेश की सिफारिश की जायेगी। हमारे कुछ साथी इतनी शीर्षता में है कि वह 30 मार्च को ही अन्तिम तिथि मानते है। नोटिस को ध्यानपूर्वक पढ़िये तो उसमें साफ लिखा है कि हर तीन तीन महीने के टुकड़े में आप जानकारी मन्त्रालय को दे सकते है। उसमें 30 मार्च 30 जून 30 सितम्बर व 30 दिसम्बर । चूंकि इस नोटिस में 30 दिसम्बर ही लिखा है सन् का कोई प्रयोग नहीं किया गया इससे सिद्ध होता है कि 30 दिसम्बर 2017 का दिन भी अन्तिम दिन नहीं है। आने वाले वर्ष में भी यह प्रक्रिया जारी रह सकती है। इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के पूरे मनोयोग के साथ एक एक बिन्दु पर गम्भीर चिन्तन करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिये जहां तक बात एकता की है तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हित में कई कोई संस्था या संगठन बाधक नहीं बनेगा क्योंकि हर व्यक्ति यह जानता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अस्तित्व से ही उसका अस्तित्व है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विकास से ही समूचे इलेक्ट्रो होम्योपैथी जगत का विकास सम्भव है।

6. In view of the above, any person or body may forward proposals, seeking recognition to new, i.e., alternative systems of medicine, for examination by the said Inter-Departmental Committee. While doing so, they must invariably ensure the following requirements:

(a) Proposal should be quite detailed and complete in all respects in terms of para- 4(a) above.

(b) Two hard copies of the proposal may be forwarded to the Department of Health Research at the address, given below.

(c) In addition, soft copy of 6(b) above must invariably be forwarded simultaneously or immediately thereafter.

(d) It may be noted that the proposal will not be entertained in case both 6(b) & 6(c) above are not forwarded.

(e) The proposals thus received, and which are complete in all respects, will be placed before the said committee for their consideration in due course of time, in the manner indicated at para-5 above.

(f) The sender (s) of the proposal(s) are likely to be invited to the meeting of the committee, as and when the committee sits, to present their proposal before the committee. They may also be required to make power-point presentation and /or any other demonstration before the committee, as may be required by the Committee. This will be intimated to the senders at the appropriate time. Further, they will be expected to provide all information / material to the committee, as may be asked for by the committee. In addition, in case there is more than one body / person forwarding proposals for the same system, they may be advised to interact with each other and send one consolidated proposal to facilitate administrative convenience and smooth processing of the proposal. In such a situation, representatives of all such bodies /persons may be invited to the meeting of the committee to plead their case.

(g) The proposals should be accompanied with full postal address (including 'Pin Code Number') and other contact details (telephone / mobile number, e-mail ID, etc.) of the sender(s).

(h) No canvassing in favour of their proposal(s) should be resorted to outside the scope of the meeting of the committee. They will get ample opportunity to justify their case before the committee, when they are invited to attend the meeting.

(i) Normally, no representation against the decision of the Committee as well as that of the Government, regarding viability or otherwise of the proposal, will be entertained.

7. Proposal may be forwarded to the following address :

Shri Om Parkash,
Under Secretary,
Department of Health Research,
IRCS Building, Second Floor,
1,Red Cross Road,
New Delhi-110001.
E-mail ID : om.prakash38@nic.in

(Indira Sharma)
Deputy Secretary to the Government of India
Tel. No. 011-23736087

To

All stakeholders / public at large

एक मात्र पुस्तक
Iris Diagnosis
136 Page
&
Price ₹40 only
डाक खर्च ₹ 20 अतिरिक्त
आपके लिये अब
ऑनलाइन बुकिंग
की भी सुविधा
अपना नाम, पूरा पता
डाक का पिनकोड
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक गाइडें
मटेरिया मेडिका ₹ 25
जनस्वास्थ्य विज्ञान ₹ 50
प्रैक्टिस ऑफ़ मेडिसिन ₹ 30
फार्मेसी ₹ 5 फ़िलॉसोफ़ी ₹ 30
पर S.M.S. कर सकते हैं
Conditions applied
सम्पर्क करें
इलेक्ट्रो होम्योपैथिक केन्द्र
बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन,उ0प्र0
127/204 एस जूही, कानपुर–208014
+91 9415074806, 9450153215, 9450791546, 9415486103